IJAER/ November-December 2023/Volume-12/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

डा0 भीमराव अम्बेडकरः गोलमेज सम्मेलन से मानवीय सन्देश

Dr Harish Kumar, (Assistant professor)

Deptt of History (विद्यासंबल योजना)

Govt College Rupwash, Bharatpur, Raj

सारांश गोलमेज सभाओं में डॉ. अम्बेडकर ने अछूतों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति तथा वह अछूत क्यों माने जाते हैं? पर विचार किया। उन्होंने उनके अधिकारों की माँग रखी, तो इसका अर्थ नहीं था कि वह भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थे अथवा ब्रिट्रिश राज्य के पक्षपाती थे। उन्होंने ब्रिटिश राज्य को भी इनकी गिरी हुई स्थितियों के लिए उत्तरदायी ठहराया। अंग्रेजों ने अछूतों तथा शूद्रों की उपेक्षा की। अंग्रेजों ने मानवता का गला घोट दिया तथा करोड़ों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। डॉ0 अम्बेडकर के हृदय में राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण दो बातों के विरोध में हुआ। वह बाह्य शासन एवं आन्तरिक अन्याय के विरुद्ध थे। अन्याय की बात को इस तरह स्पष्ट किया कि भारतीय समाज छोटी बड़ी जातियों में विभाजित है। जातियों में ऐसी भावना है कि यदि ऊपर की ओर जाया जाये तो सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। हिन्दू समाज में स्वतंत्रता एवं समानता का कोई स्थान नहीं है जो प्रजातांत्रिक जीवन के लिए आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि अछूतों और शूद्रों को कुछ संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वह सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रगति कर सकें। यह भावना उनके निजी स्वार्थ के लिए नहीं थी, बल्कि भारत में रहने वाले सभी निर्धन लोगों के लिए थी।" डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा मानवतावादी होते हुए भी राष्ट्रवादी है। वह बाह्य शासन से स्वतंत्रता के साथ साथ अछूतों के लिए भी स्वतंत्रता चाहते थे। अछूतो की आजादी उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का मुख्य उद्देश्य था। उनके अन्दर स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवाद की भावनाओं का बाहुल्य था। डॉ. अम्बेडकर ने माना कि सच्चे राष्ट्रवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने देश के रहने वाले निर्धन लोगों की प्रेरणा का स्त्रोत बने।

प्रस्तावना डॉ. अम्बेडकर की राष्ट्रवाद की भावना का उदय उन लोगों में आस्था के साथ हुआ जो निर्धन, शोषित एवं अधूत थे। वह इन सभी लोगों के लिए समानता एवं नागरिक अधिकार पाहते थे, जिन्हें हिन्दू समाज में करोड़ों लोगों को मानव अधिकारों से वंचित कर रखा था। उन्हें सदियों तक नरकीय जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया था। प्राचीन हिन्दू सामाजिक जीवन अधिकारों पर नहीं वरन कर्तव्यों की महानता पर निर्भर था।[1] लेकिन आज अधिकारों एवं कर्तव्यों के संतुलन पर अधिक बल दिया जाता है। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जब इंग्लैण्ड में गोलमेज सभायें हो रही थी. उस समय डॉ. अम्बेडकर शोषित और अछूटों के नेता के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि सभी परिगणित वर्ग मुसलमानों, ईसाईयों से पृथक है। वह हिन्दू समाज के अभित्र अंग नहीं माने जाते हैं। उन्हें वह स्थान दिया गया जो भारत में अन्य किसी धर्म वालों को नहीं मिला। सामाजिक दृष्टि से अछूतों को दासो का स्थान दिया गया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार यह थोपी गयी दासता और पृथकता की भावना का मूल कारण छुआछूत है। हुआछूत की भावना ने बहुत से वर्गों को समानता का नागरिक अधिकार तथा जीवन की अन्य बहुमूल्य बातों से वंचित कर रखा। सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर ने इन शोषितों के लिए नागरिक अधिकारों की माँग ब्रिट्रिश सरकार के समझ रखी।

यहीं से उनकी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। वे मानते थे कि उनकी उपेक्षा करना एवं उनकी हालत न सुधारना, राष्ट्रवाद की एकता एवं सामाजिक समता के विरुद्ध है। डॉ. अम्बेडकर दोषपूर्णहिन्दू सामाजिक ढाँचे के विरूद्ध थे क्योंकि यह राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। उन्होंने एक स्थान पर लिखा– मैं जानता हूँ कि मेरे देश में मेरा स्थान अच्छी तरह नहीं समझा गया है। लोगों ने उसे गलत समझा है मैं कहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत स्वार्थों और देश के प्रति कर्तव्यों में जो कुछ कलह रहा है, उसमें मैंने सदैव देश के प्रति कर्तव्य भावना को ही सर्वोच्च माना है। मैने कभी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयास नहीं किया जहाँ तक देश की माँगों का प्रश्न है, मैं कभी भी पीछे नहीं रहा हूँ। डॉ. अम्बेडकर की राष्ट्रीय भावनाऐं किसी भी विदेशी राज्य के विरुद्ध थी। विदेशी राज्य के प्रति संघर्ष एवं शोषितों के प्रति प्रेम ने उसके अन्दर राधी राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण किया। उन्होंने आजादी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा था मैं मानता हूँ कि उच्च कहे जाने वाले हिन्दुओं के साथ मेरा कुछ बातों पर मौलिक मतभेद है, लेकिन मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की रक्षा हेतु मैं अपनी जान भी दे दूंगा।[2] मानवाधिकारों के लिए डॉ. अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह के समय कहा था, "यदि आप कहते हो कि तुम्हारा और हमारा धर्म एक ही है, तो तुम्हारे और हमारे अधिकार समान होने चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा ही है? यदि ऐसा नहीं है तो सवर्ण किस आधार पर कहते हैं कि दलित वर्गों को हिन्दू धर्म में ही रहना चाहिए 12 अक्टूबर, 1927 को डॉ. अम्बेडकर ने पूना में दलित विद्यार्थियों की सभा में सलाह दी कि अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्यों को निभाने चाहिए। महार में सवर्ण हिन्दू अछूतों को तालाब से पानी पीने से रोक रहे थे तथा अमरावती अम्बादेवी मन्दिर दलितों के लिए पूर्णतः निषेध था।[3] नवम्बर, 1927 में सर जाम साइमन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमीशन की नियुक्ति ब्रिट्रिश सरकार द्वारा की गयी। यह कमीशन सन् 1919 मे किये गये संवैधानिक सुधारों के विषय में रिपोर्ट देने के लिए भारत आया। कमीशन का भारत में विरोध हुआ। कुछ व्यक्ति कमीशन से मिले उनमें से डॉ. अम्बेडकर एक थे। 23 अक्टूबर, 1928 को साइमन कमीशन ने डॉ. अम्बेडकर से पूछताछ की।डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि हमें हिन्दू समुदाय से पृथक एक विशेष स्वतंत्र अल्पमत के रूप में माना जाना चाहिए। दलितों को किसी अन्य की अपेक्षा राजनीतिक संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। अगस्त 1928 में कांग्रेस पार्टी के सुझाव पर पं0 मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए एक स्वराज्य संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस संविधान द्वारा मुसलमानों को कांग्रेस तथा हिन्दुओं से समीप एवं उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व का प्रलोभन दिया गया। कांग्रेस ने सभी समुदायों के नेताओं को आमंत्रित किया, किन्तु किसी दलित नेता को आमंत्रित नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट से डॉ. अम्बेडकर ने महसूस किया कि, "समाज में उच्च वर्गीय आधिपत्य तथा ब्राह्मणी शासन को बनाये रखना इस वर्ग का ही उद्देश्य है। डॉ. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग दिया तथा दलित वर्गों के बारे में कहा,'यह समुदाय शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, आर्थिक बहुत निर्धन है, सामाजिक स्थिति में दास है। हम आरक्षित सीटों की माँग करते हैं साथ ही वयस्क मताधिकार हो, यदि वयस्क मताधिकार नहीं दिया जाता तब फिर हम पृथक निर्वाचन चाहेंगे। साइमन कमीशन के साथ सहयोग के कारण डॉ. अम्बेडकर को अंग्रेजों का पिठ्ठू, विश्वासघाती, देशद्रोही कहा गया । सन् 1830 सत्याग्रह का युग था। डॉ. अम्बेडकर के लिए यह चुनौती से भरा वर्ष था। गाँधीजी भारत को राजनैतिक आजादी के लिए अभियान चला रहे थे जबकि डॉ. अम्बेडकर अछूतों की सामाजिक मुक्ति तथा राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 12 मार्च, 1930 को अम्बेडकर ने नासिक में अछूतों द्वारा प्रसिद्ध कालाराम मन्दिर में प्रवेश के अधिकार को पाने के लिए मन्दिर प्रवेश आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। यह आन्दोलन

अक्टूबर 1935 तक चलता रहा।[4] मई, 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा परन्तु दलित प्रत्याशी के लिए शर्त लगा दी कि जब तक प्रान्तीय गवर्नर योग्यताओं का प्रमाण पत्र नहीं देता, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता। डॉ. अम्बेडकर ने साइन कमीशन की सिफारिशों की कड़ी आलोचना की। अतः अम्बेडकर भारतीय कुलीनतंत्र तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद, दोनों के बड़े आलोचक बन गये।31 दिसम्बर, 1929 तक भारत को स्वतंत्र उपनिवेश (डोमीनियन स्टेट्स) का दर्जा देने का कांग्रेस ने नारे का आदर्श डॉ० अम्बेडकर को उत्तम लगा क्योंकि उसमें स्वतंत्रता का सार था, और पूर्ण स्वतंत्रता के खतरे भी उसमें नहीं थे। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि जीवन की उस सामाजिक तथा आर्थिक संहिता सुधारने में जो सरकार भयभीत नहीं होगी, यह केवल स्वराज्य सरकार अर्थात् जो लोगों की, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए हो, ऐसी सरकार ही ऐसा करने में समर्थ होगी। दलितों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि हमारी अयोग्यताएँ खुले घाव के समान है। जिनका अभी तक कोई उपचार नहीं किया गया है। ब्रिटिश सरकार हमारी कठिनाइयों का अन्त करने में शक्तिहीन रही है। भारत के लिए आवश्यक संवैधानिक सुधारों की दिशा में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य की माँग प्रस्तुत कर दी। 31 दिसम्बर, 1929 को आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय आजादी का तिरंगा फहरा दिया और 26 जनवरी, 1930 को 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया। 12 मार्च 1930 को गाँधीजी द्वारा डांडी यात्रा एवं नागरिक अवज्ञा आन्दोलन शुरु किया गया। बिट्रिश सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को 4 मई, 1830 को गिरफ्तार कर लिया। साइमन कमीशन ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर ब्रिटिश सरकार ने लोगों को शान्त करने के लिए कुछ भारतीय प्रतिनिधि संविधान निर्माण से पूर्व विचार विमर्श के लिए लंदन गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किये। भारत के अन्य नेताओं के साथ डॉ. अम्बेडकर और मद्रास (चेन्नई) के राव बहादुर श्रीनिवासन को अस्पृश्यों के नेताओं के रूप में आमंत्रित किया गया। गाँधी जी एवं कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया। अन्य दलों का प्रतिनिधित्व हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाईयों आदि के सुप्रसिद्ध नेताओं द्वारा किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने गाँधी जी की हठधर्मी की निन्दा की। मैं यह कहने में नहीं चुंकूगा कि ऐसे समय, कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चलाकर और गोलमेज परिषद के माध्यम से शक्तिमय समाधान के तरीकों को अस्वीकार करके एक भारी गलती की है।[5] अक्टूबर, 1930 में डॉ. अम्बेडकर मुम्बई से लंदन रवाना हुए. उस समय असहयोग आन्दोलन के कारण चारों ओर असंतोष फैल रहा था। जो लोग ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग देते थे, वे ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू और हिमायती होने के कारण उन्हें देशद्रोही के रूप में संभावना करते थे। सुभाषचन्द्र बोस अपने अंग्रेजी ग्रन्थ (इण्डियन स्ट्रगल) में कहते हैं– 'डॉ. अम्बेडकर पर माँ–बाप ब्रिटिश सरकार ने बड़ी कृपा से नेतृत्व इसलिए लाद दिया कि राष्ट्रीय नेताओं को विपत्ति में डालने के लिये उन्हें उनकी सहायता चाहिये थी। 12 नवम्बर 1830 को गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। डॉ. अम्बेडकर ने अल्पमत समिति को स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, उसमें दलित वर्ग की सुरक्षा का सवाल था। अपने भाषण में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, जिन लागों की स्थिति गुलामों से भी बुरी है और जिनकी जनसंख्या फ्रांस देश की जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत के लोगों की शिकायतें मैं परिषद के सम्मुख रख रहा हूँ दलितों की माँग है कि भारत सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों का राज्य हो। इस परिवर्तन के लिए ब्रिट्रिश राज्य आने से पहले हमें कुओं से पानी भरना, मन्दिर प्रवेश, पुलिस में भर्ती, सेना में भर्ती आदि अधिकार नहीं थे। क्याआज ब्रिट्रिश सरकार उक्त कार्य न्याय दिलवाया? सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक देते हैं। ब्रिट्रिश राज्य सत्ता के 73 वर्ष हो चुके

हो फिर भी हमारा दुःख नहीं हुए। ऐसी सरकार किस काम।[6] ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अम्बेडकर भाषण चकित रह गये। इसी सम्मेलन में उपस्थित बड़ौदा नरेश सयाजीराव गाइकवाड़ ने अपनी रानी से कहा, "हमारे सारे प्रयास और धन दोनों का आज उचित इस्तेमाल हुआ। 19 जनवरी, 1931 को गोलमेज का पहला अधिवेशन समाप्त हुआ। डॉ0 अम्बेडकर 27 फरवरी, 1931 को मुम्बई पहुँचे। मुम्बई आने पर डॉ. अम्बेडकर का अछूत नेताओं ने स्वागत किया। अम्बेडकर ने कार्य की रिपोर्ट दी। मुम्बई सरकार ने पुलिस में अछूतों को भर्ती की घोषणा की। डॉ0 अम्बेडकर मुम्बई विधान परिषद सदस्य नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1931 को बायसराय लार्ड इर्विन ने गाँधीजी तथा अन्य कांग्रेसियों को बिना शर्त रिहा कर दिया। 4 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधीजी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने तथा द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने का वायदा किया। 14 अगस्त, 1931 को डॉ. अम्बेडकर गाँधीजी से मिले, क्योंकि गाँधीजी पत्र लिखकर मिलने की इच्छा प्रकट थी। गाँधीजी ने विश्वास दिलाया कि सन 1920 लेकर कांग्रेस ने अछूतोदार की दिशा में बहुत कार्य किया है, फिर भी आपका विरोध क्यों हैं? अम्बेडकर जी ने कहा कि कांग्रेस को सिद्धान्त की बजाय शक्ति की चिंता थी। अधूतों को किस प्रकार अँधेरे में रखा? कांग्रेसियों ने हमारे आन्दोलन का विरोध क्यों किया और मुझे देशद्रोही दागने का कार्य करना चाहिये? आगे से गांधीजी कहा, मेरी मातृभूमि नहीं है। गाँधीजी प्रत्युत्तर दिया, 'आपकी मातृभूमि है। गोलमेज परिषद में आपके काम के विषय के सम्बन्ध में जो सुना है। उससे मैं जानता हूँ कि आप ठोस मूल्य के एक देशभक्त है। डॉ अम्बेडकर ने फिर प्रत्युत्तर दिया, इस भूमि को अपनी मातृभूमि और उस धर्म को अपना धर्म कैसे कह सकता हूँ जहाँ हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता।" डॉ0 अम्बेडकर ने गाँधीजी से राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो गाँधीजी ने स्पष्ट कहा, "हिन्दुओं से अछूतों के राजनीतिक पृथकारण के मैं विरुद्ध हूँ। वह पूर्णतः आत्महत्या ही होगी।[7]

दूसरी गोलमेज परिषद में प्रतिनिधिमण्डल में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल, ईसाईयों के प्रतिनिधि डॉ. एस. के. दत्त,उद्योग मण्डल से श्रीमान् जी. डी. बिड़ला आदि व्यक्ति थे। गाँधी जी के साथ पं. मदनमोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, डॉ. ऐनीबेसेण्ट आदि सभी 12 सितम्बर, 1931 को लंदन पहुँचे। डॉ. अम्बेडकर 29 अगस्त को लंदन पहुँचे। यह ज्वर से पीड़ित थे। 15 सितम्बर को गाँधीजी ने दावा किया किवह सभी जातियों और वर्गों की प्रतिनिधि संस्था कांग्रेस के एकमेव प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ जबकि सभी वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।" अल्पमत समिति के कार्य की शुरुआत 28 सितम्बर, 1931 को हुई। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मेक्डोनाल्ड ने कहा– प्रतिनिधियों के एकमत न होने से कुछ प्रतिनिधियों ने पंच की नियुक्ति का समर्थन किया। संविधान समिति में प्रतिनिधियों के बारे में गाँधीजी और मुत्तलमान नेताओं में गुप्त मंत्रणा का डॉ. अम्बेडकर को आभास हो गया। दलित जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर डॉ. अम्बेडकर अत्यन्त चिन्तित थे। वह हर मोर्चे पर अधिकारों के लिए लड़ना चाहते थे। गोलमेज सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल और दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व की माँग की। उन्होंने कहा कि दलितों को प्रान्तीय और केन्द्रीय विधानमण्डलों में पृथक निर्वाचन सूचियों के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनने काअधिकार रहेगा। महात्मा गाँधीजी ने सन् 1932 में भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्या पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गम्भीरता से विचार किया और निष्कर्ष रूप में कहा कि दलितों को अलग वर्ग में रखने के पक्ष में नहीं हैं। यह कहते थे क्या अस्पृश्य हमेशा ही अस्पृश्य ही रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इससे तो मैं कहूँगा कि हिन्दू धर्म ही समाप्त हो

जाए। राष्ट्रपिता गाँधीजी ने जोर देकर कहा कि डॉ. अम्बेडकर का और अस्पृश्यों को उठाने की उनकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, पर मैं सोच–समझकर इस दिशा की ओर बढ़ा हूँ कि हमें अस्पृश्यों का सौदा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दलितों के पृथक निर्वाचन माँग का विरोध प्राणों की आहुति देकर भी करूँगा, क्योंकि हिन्दू समाज में विघटन की आशंका है।" दलितों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटों के प्रस्ताव का विरोध गाँधीजी ने किया तो अम्बेडकर क्रोधित हो गये। वह पृथक निर्वाचन मंडल की माँग के मनमाने के लिए 1932 में इंग्लैण्ड गये, आखिरकार प्रधानमंत्री मेक्डोनाल्ड का फैसला डॉ. अम्बेडकर के पक्ष में आया क्योंकि अंग्रेज भी विभाजित भारत चाहते थे। गाँधीजी और डॉ. अम्बेडकर अपनी अपनी बात के पक्के थे। गाँधीजी का कहना था कि मुसलमान तथा सिख दोनों के अलावा और किसी जाति को अलग प्रतिनिधित्व न दिया जाये। प्रधानमंत्री जो परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक कमेटी का प्रत्येक सदस्य, साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने के लिए मेरे पास प्रार्थना पत्र भेजेंगे? इस पर गाँधीजी ने हस्ताक्षर किये परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर नहीं किये। साम्प्रदायिक निर्णय का अधिकार प्रधानमंत्री को सौंपकर सभी भारतीय प्रतिनिधि वापस लौटे। दूसरी गोलमेज परिषद 1 दिसम्बर, 1931 को समाप्त हुई। भारत लौटने पर गाँधीजी का विरोध करने के कारण डॉ. अम्बेडकर को राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में अंग्रेजों का पिट्ठू, देशद्रोही आदि आरोप लगाये गये। बाबा साहब ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि हिन्दुओं की भावी पीढियाँ जब ये गोलमेज परिषद के इतिहास का अध्ययन करेंगी, तब वे मेरी सेवाओं की प्रशंसा करेंगी।"20 अगस्त, 1932 को प्रधानमंत्री के साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई. इसमें दलित जातियों के पृथक निर्वाचन का अधिकार और साथ निर्वाचन में भी मत देने और उम्मीदवारी करने का अधिकार भी दे दिया। उस समय गाँधीजी यरवदा जेल में 4 जनवरी 1932 से ही थे। गाँधीजी यह सुनकर यरवदा जेल से पृथक निर्वाचन के विरोध में पत्र लिखा, उसमें कहा कि 20 सितम्बर, 1932 से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा। गांधीजी के उपवास से सारे देश में क्षोम और चिता का वातावरण पैदा हो गया। नेताओं ने उनके प्राण बचाने के लिए दौड़ शुरू कर दी। डॉ अम्बेडकर ने कहा कि यह निश्चित है कि गाँधीजी का जीवन बचाने के लिए मैं दलितों के हितों के विरूद्ध किसी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होऊँगा। जेल में मिलने पर डॉ. अम्बेडकर ने गाँधीजी से कहा 'महात्मा जी आप हम पर बड़ा ही अन्याय करते आ रहे हैं। यह मेरी तकदीर है कि मैं अन्यायी दिखाई नछूँ। इसी तरह की नौवत मुझ पर हमेशा आती है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है।[8] गांधीजी ने प्रत्युत्तर में कहा ''मेरे प्राण कैसे बचाये जायें, यह तो आप अच्छी तरह जानते है? मैं जानता हूँ कि जातीय निर्णय के अनुसार आपके लोगों को प्राप्त हुये अधिकार आप छोड़ने को तैयार नहीं। आपके द्वारा सुझायी गयी पैनल पद्धति में स्वीकार करता हूँ। आप जन्म से अस्पृश्य है, मैं हृदय से हूँ। हम सब एक अभंग अविभाज्य है।

निष्कर्ष, हिन्दू समाज में होने वाली इस फूट को टालने के लिए मैं अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हूँ। गाँधीजी की बात न मानने के कारण डॉ अम्बेडकर को हत्या की धमकी भरे पत्र प्राप्त होने लगे। आखिर में कांग्रेस के कुछ नेता तथा डॉ. अम्बेडकर में सहमति हुई और यह पुणे करार के नाम से जानी जाती है। हिन्दुओं की तरफ से पं. मदनमोहन मालवीय, जयकर, सम्प्रू राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद आदि ने हस्ताक्षर किये। पूना पैक्ट में दोनों पक्षों को कुछ न कुछ खोना पड़ा। सवर्ण हिन्दुओं को पंच निर्णय में दिये गये 78 सीटों के स्थान पर 148 सीटें देनी पड़ीं, तो दलितों को पृथक निर्वाचन के अधिकार से हाथ धोना पड़ा। अछूतों से दिमताधिकार को छीन लिया गया। इस ऐक्ट के मुख्य

बिन्दु थे। सीटा में वृद्धि, संयुक्त निर्वाचन के आधार पर मताधिकार, आरक्षित सीटों का 10 वर्ष बाद अन्त सार्वजनिक सेवाओं में दलित वर्गों के न्यायोचित प्रतिनिधित्व। सवर्णों ने पूना पैक्ट का स्वागत नहीं किया परन्तु गाँधीजी के प्राण बचाने के लिए उचित समझा। 26 दिसम्बर, 1932 को ब्रिट्रिश मंत्रिमण्डल ने 'पुणे करार पर ब्रिट्रिश लोकसभा की मुहर लगवाकर उसे मंजूर करा लिया। डी. अम्बेडकर अन्त में गाँधीजी से सहमत हुये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. डी.आर. जाटव, राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका, जयपुर, 1996, पृ. 97
2. धनंजय कीर, पूर्वोद्धत, पृ0 204
3. मुरलीधर जगताप, सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत ज्योतिब फुले, महामित्र प्रकाशन, मुम्बंई, 1989, पृ0 104
4. धनंजय कीर, डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर–जीवन चरित, अनुवादक गजानन सुर्वे, पाप्यूलर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ0 143
5. डॉ. डी.आर. जाटव, राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका, जयपुर, 1996, पृ0 67
6. डॉ0 कृष्ण दत्त पालीवाल, डॉ0 अम्बेडकर, समाज व्यवस्था और दलित साहित्य, किताब घर, नयी दिल्ली, 2007, पृ0 121
7. धनंजय कीर, पूर्वोद्धत, पृ0 202
8. विजय कुमार पुजारी, डॉ0 अम्बेडकर जीवन और दर्शन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ0 113